4007

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

सत्यमेव जयते

447801

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार, झाँसी

मुख्य रोकड़िया कोषाधिकारी

झांसी विकास प्राधिकरण,झांसी।

विक्रय विलेख

यह विलेख आज दिनांक 26.09.2007 झांसी विकास प्राधिकरण,झांसी जो कि राष्ट्रपति
अधिनियम संख्या 11 सन् 1973, पुर्नविधायन, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974 की
धारा 4, के अधीन गठित एक निकाय है , के प्राधिकृत अधिकारी श्री सत्येन्द्र प्रसाद सहायक
अभियन्ता/सम्पत्ति अधिकारी झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी के माध्यम से (जिसे इस विलेख

सम्पत्ति अधिकारी
झांसी विकास प्राधिकरण झांसी.

For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD.

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

447802

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार, झाँसी

मुख्य रोकड़िया कोषाधिकारी

में आगे विक्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है जिसका अर्थ अब तक उसके विपरीत भाव से प्रयुक्त न किया गया हो विक्रेता उसके प्रशासको/अधिशास्को विधिक, प्रतिनिधियों एवं समानुदशितों से लिया जायेगा ।

प्रथम पक्ष

एवं

मैसर्स महागुण(इण्डिया) प्रा0 लि0 रजि0 आफिस सी–215, विवेक विहार दिल्ली द्वारा महाप्रबन्धक (वाणिज्य) श्री एस0सी0शर्मा पुत्र स्व0 श्री डी0एन0शर्मा (जिसे कि इस विलेख में केता कहकर सम्बोधित किया गया है जिसका अर्थ जब तक है कि उसके विपरीत भाव में

सम्पत्ति अधिकारी
झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी.

For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD.

Authorised Signatory

क्रमांक ...... संख्या ......
नाम:- महाप्रबन्धक (कर्मोंचयन)
महागुन (इण्डिया)
पता:- नई-दिल्ली

विक्रय पत्र

97,6?5,758.00/	5,000.00	40	5,040.00	2,090	
प्रतिफल मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग	

श्री /श्रीमती महागुण इण्डिया प्रा.लि. दिल्ली द्वारा महाप्रबंधक एस.सी.शर्मा
पुत्र / पत्नी श्री डी.एन.शर्मा
पेशा नौकरी
निवासी स्थायी सी-215 विवेक विहार दिल्ली
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 29/9/2007 समय 1:48PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

श्रवण कुमार पुरवार
उपनिबंधक प्रथम
झाँसी
29/9/2007

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
श्री/श्रीमती सत्येन्द्र प्रसाद सम्पत्ति अधिकारी
पुत्र/पत्नी श्री
पेशा नौकरी
निवासी झाँसी विकास प्राधिकरण झांसी

क्रेता
श्री/श्रीमती महागुण इण्डिया प्रा.लि. दिल्ली द्वारा महाप्रबंधक एस.सी.शर्मा
पुत्र/पत्नी श्री डी.एन.शर्मा
पेशा नौकरी
निवासी सी-215 विवेक विहार दिल्ली

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री मनोज कुमार सक्सेना एडवोकेट
पुत्र श्री स्व.श्री डी.एन. सक्सेना
पेशा वकालत
निवासी 197ए सेक्टर 15 ए नोएडा उ.प्र.
व श्री हरीश कुमार तिवारी एडवोकेट
पुत्र श्री स्व.श्री ... तिवारी
पेशा वकालत
निवासी 7 ... झांसी
ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

श्रवण कुमार पुरवार
उपनिबंधक प्रथम
झाँसी
29/9/2007

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

447803

कोषागार, झाँसी

मुख्य रोकड़िया　　कोषाधिकारी

प्रयुक्त न किया गया हो केता स्वयं उसके वारिसों उत्तराधिकारियों विधिक प्रतिनिधियों एवं समानुदेशितों से लिया जायेगा) द्वितीय पक्ष के हित में निष्पादित किया गया और चूँकि जनहित में भूखण्ड अध्याप्ति करके उसे विकेता द्वारा विकसित किया गया है चूँकि इस दस्तावेज में अंकित भूमि को प्रथम पक्ष द्वारा लैण्ड एक्यूजीशन एक्ट के अन्तर्गत अर्जित किया गया है इस कारण प्रथम पक्ष अंकित भूमि का संकमंणीय भूमि धर एवं काबिज है । अंकित भूमि को प्रथम पक्ष द्वारा बल्क सेल करने का पूर्ण अधिकार है । इस विलेख की अनुसूची में निर्दिष्ट भूखण्ड सं0 बल्क सेल भूखण्ड द्वितीय पक्ष को आफर बिड द्वारा आबंटित हुआ था

सम्पत्ति अधिकारी
झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी.

For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD.

Authorised Signatory

क्रमांक 1545 दिनांक 23.11.07

नाम:- महाप्रबन्धक (कर्मचारियल)

महागुन (इण्डिया)

पता:- नई-दिल्ली

विक्रेता

Registration No 4007 Year : 2007 Book No. 1

0101 सत्येन्द्र प्रसाद सम्पत्ति अधिकारी

झाँसी विकास प्राधिकरण झांसी

नौकरी

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 447804

कोषागार, झाँसी

आगे अभिव्यक्त अधिकारों एवं शर्तो के अधीन अनुसूची में निर्दिष्ट भूखण्ड का स्वामित्व रू0 8,72,28,355.35 (रू0 आठ करौड बहात्तर लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ पचपन पैसा पैतीस) के एवज में द्वितीयपक्ष को हस्तांतरित किया जाना है । और चूंकि प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को अनुसूची में वर्णित भूखण्ड बेतबा बिहार का स्वामित्व आवासीय/ग्रुप हाउसिंग/वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु दिया जाना स्वीकार कर लिया गया है । और चूंकि जनपद झाँसी की महायोजना/आसपास की भूमि के उपयोग के आधार पर वर्तमान में उक्त वर्णित भूखण्ड का आवासीय/ग्रुप हाउसिंग/वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना है ।

सम्पत्ति अधिकारी
झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी.

For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD.

Authorised Signatory

क्रमांक 1968 तारीख 23.04.2007

नाम:- महाप्रबन्धक (कमौंशियल)

महागुन (इण्डिया)

पता:- नई-दिल्ली

हस्ताक्षर

1507

क्रेता

Registration No. 4007 Year : 2007 Book No. 1

0201 महागुण इण्डिया प्रा.लि. दिल्ली द्वारा महाप्रबंधक एस.सी.शर्मा

डी.एन.शर्मा

री-215 विवेक विहार दिल्ली

नौकरी

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

447805

कोषागार, झाँसी

मुख्य रोकड़िया कोषाधिकारी

अतः द्वितीयपक्ष द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि का उपयोग महायोजना में निर्दिष्ट आसपास की भूमि के भू–उपयोग के अनुसार ही किया जायेगा ।

चूँकि शासनादेश संख्या 1639/9 आ–1–95–80 मिस/86 आवास अनुभाग–1 दिनांक 10.05.95 द्वारा उक्त आबंटित भूखण्ड फ्री होल्ड भूमि के रूप में हस्तांतरित करने हेतु प्राविधान किया गया है तथा द्वितीय पक्ष द्वारा भूखण्ड का सम्पूर्ण मूल्य जिसमें भूमि मूल्य 8,72,28,355.35 एवं फ्री होल्ड चार्जेस रू0 1,04,67,402.65 कुल 9,76,95,758.00 (नौ करौड छिहत्तर लाख पिन्चान्वे हजार सात सौ अट्ठावन मात्र) झांसी विकास प्राधिकरण झांसी कोष में

सम्पत्ति अधिकारी
झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी

For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD.

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

447806

कोषागार, झाँसी

मुख्य रोकड़िया कोषाधिकारी

जमा कर दी गयी है जिसकी पावती विकेता इस विलेख के माध्यम से स्वीकार करता है । अतः यह विलेख निम्न प्रकार से सन्दर्भित करता है ।

यह कि केता से उपरोक्तानुसार समस्त मूल्य प्राप्त करने के पश्चात विकेता द्वारा भूखण्ड संख्या बल्क सेल क्षेत्रफल 64375.17 वर्ग मीटर बेतवा बिहार आवासीय योजना स्थित ग्राम बूढा परगना व जिला झांसी जिसका विवरण अन्त में दिया गया है को फी होल्ड भूमि के रूप में केता के पक्ष में विकय करते हुये सदैव के लिये हस्तांतरित कर दिया गया है एवं पूर्ण

सम्पत्ति अधिकारी
झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी

For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD.

Authorised Signatory

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 447807

कोषागार, झाँसी
मुख्य रोकड़िया

स्वामित्वाधिकार इस विलेख के माध्यम से केता में सन्निहित कर दिये गये है कि वह नियमानुसार भूमि का उपयोग एवं उपभोग करें ।

अतः भुगतान के प्रतिफलस्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तो जिनका द्वितीयपक्ष पालन करेगा, को ध्यान में रखते हुये प्रथमपक्ष द्वारा वह भूखण्ड, उनकी सीमाओं सहित जिसका विवरण इस अनुसूची में दिया गया है, और जो स्पष्टीकरण के लिए इस विलेख से संलग्न रेखाचित्र में लाल रंग में दिया गया है, फ्री–होल्ड घोषित करते हैं, उस पर निजी स्वत्व प्रदान करते है, अतएव द्वितीयपक्ष,उसके दावाधिकारी तथा समानुदेशिती सदा के

सम्पत्ति अधिकारी
झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी

For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD.

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

447808

कोषागार, झाँसी

लिए उसे अपने अधिकार में रखेंगे । इस विलेख के निष्पादन के दिनांक .... से इसकी अनुसूची में वर्णित भूखण्ड पर द्वितीयपक्ष को निजी स्वत्व को प्राप्त हो जायेगा,तदानुसार द्वितीयपक्ष इस भूखंड को प्रभावी विधि,नियमों एवं विनियमों के अधीन रहते हुये अपनी इच्छानुसार प्रयोग करने अथवा हस्तान्तरण के लिए स्वतंत्र रहेगा और वे नियमानुसार भूखण्ड का उपयोग एव उपभोग करें ।

यह कि विकीत भूखण्ड का कब्जा इस विलेख के माध्यम से केता को सौंप दिया गया है ।

सम्पत्ति अधिकारी
झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी

For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD.

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

447809

कोषागार, झाँसी

मुख्य रोकड़िया कोषाधिकारी

(1) ग्रुप हाउसिंग हेतु यदि विकासकर्ता द्वारा विकास किया जाता है तो एफ0ए0आर0–1.5 तथा भू आच्छादन 35 प्रतिशत अनुमन्य होगा ।

(2) ग्रुप हाउसिंग हेतु 150 Unit/हेक्टेयर या 250 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर की Density या तत्समय लागू महायोजना में प्रश्नगत स्थल पर अनुमन्य जनसंख्या धनत्व जो भी न्यूनतम होगा अनुमन्य होगा ।

(3) यदि प्रथक भूखण्डों का विकास किया जाता है तो झांसी विकास प्राधिकरण में तत्समय लागू भवन निर्माण एवं विकास उपविधि एवं झांसी महायोजना के

सम्पत्ति अधिकारी
झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी

For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD.

Authorised Signatory

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

447810

कोषागार, झाँसी

मुख्य रोकड़िया कोषा...

अनुसार तलपट मानचित्र स्वीकृत कराना होगा । तलपट मानचित्र में भवन निर्माण एवम विकास उपविधि के अनुसार अनुमन्य समस्त सुविधाए अनुमन्य होगी ।

(4) यह कि भूमि सम्बन्धी अधिकार भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त किये जाते है और भूखण्ड आबंटित करने के समय चूँकि विकेता विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के द्वारा दिये गये अभिनिर्माण (एवार्ड) के आधार पर ही प्रश्नगत भूखण्ड का प्रीमियम मूल्य एवं तद्नुसार फीहाल्ड शुल्क निर्धारित किया गया है

सम्पत्ति अधिकारी
झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी.

For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD.

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

447811

कोषागार, झाँसी

मुख्य रोकड़िया   कोषा...

परन्तु यदि भविष्य में न्यायालय द्वारा किसान को देय प्रतिकर तोषण (सोलेशियम) एवं इस मद में ब्याज की वृद्वि के आदेश किये जाये तो केता इस हेतु सहमत होता है एवं प्रसंविदा करता है कि उपरोक्त प्रकार की किसी आकस्मिक कारण से हुयी वृद्वि की जिम्मेदारी केता द्वारा कय किये गये भूमि नम्बर एवं क्षेत्रफल पर पूर्ण रूप से होगी, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 18 LA Act. के आदेश होते ही एक सप्ताह में J.D.A. प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को आदेश से सम्बन्धित बढी प्रतिकर की धनराशि के बारे में सूचित करेगा द्वितीय

सम्पत्ति अधिकारी
झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी.

For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD.

Authorised Signatory

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

447812

कोषागार, झाँसी
मुख्य रोकड़िया

पक्ष एक सप्ताह में लिखित रूप से उल्लेखित धनराशि पर सहमति देगा उसके तीन महीने के अन्दर क्रेता द्वारा अदायगी कर दी जायेगी इसमें असफल रहने पर प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि यह राशि भू राजस्व के बकाये के रूप में द्वितीय पक्ष से वसूल की जायेगी । यदि धारा 18 LA Act. में पारित आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में दायर करना होती है तो उस पर आने वाला व्यय धनराशि का वहन द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा ।

सम्पत्ति अधिकारी
झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी.

For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD.

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

447813

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार, झाँसी

मुख्य रोकड़िया कोषाधिकारी

(5) यह कि इस विलेख की अनुसूची में वर्णित भूखण्ड या उस पर निर्मित अथवा निर्माण किये जाने वाले करों का भुगतान केता करेगा ।

(6) यह कि केता समय–समय पर झांसी विकास प्राधिकरण बोर्ड एवं शासनादेशों द्वारा जारी किये गये नियमों विनियमों एवं प्राविधानों का पालन करता रहेगा ।

(7) इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में होने वाले सम्पूर्ण व्यय केता द्वारा वहन किये जायेंगे ।

सम्पत्ति अधिकारी
झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी

For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD

Authorised Signatory

447814

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार, झाँसी
मुख्य रोकड़िया कोषाधिकारी

(8) यह कि केता उक्त परिसर अथवा निर्मित स्थल के पूर्ण या किसी भू–भाग या हिस्से को व्यक्तिगत निवास गृह के अतिरिक्त सार्वजनिक रूप से धार्मिक स्थल एवं किसी ऐसे उपयोग में नहीं लायेगा जिससे किसी प्रकार की कोई अशान्ति उत्पन्न होती हो अथवा पास पडौस में भूखण्ड धारकों को बाधा या क्षति पहुंचती हो । केता झांसी महायोजना में निर्धारित भू–उपयोग से अन्यथा प्रयोग नहीं करेगा और न करने की अनुमति देगा इसका उल्लंघन करने पर विधि अनुसार लगाये गये दण्ड का केता भागी होगा ।

सम्पत्ति अधिकारी
झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी

For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

447815

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार, झाँसी

मुख्य रोकड़िया कोषाधिकारी

(9) यह कि केता के द्वारा भूखण्ड अथवा भवन दोनों सम्बन्धित अधिकारों का अन्तरण किये जाने की दशा में इस विलेख में अंकित समस्त नियम व उपनियम सदैव प्रथम अन्तरिती द्वितीय अन्तरिती एवं लगातार प्रत्येक अन्तरिती पर यथावत लागू रहेगी तथा केता द्वारा किये गये इस प्रसंविदा को सभी मानने के लिये बाध्य होंगे ।

(10) यह कि किसी समय उक्त भूखण्ड सम्बन्धी किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की सहमति से विवाद हेतु

सम्पत्ति अधिकारी
झांसी विकास प्राधिकरण झांसी.

For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD

Authorised Signatory

447816

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार, झाँसी

मुख्य रोकड़िया   कोषाधिकारी

मध्यस्थ की नियुक्ति की जा सकेगी जो कि विवाद सन्दर्भित होने के पश्चात दोनों पक्षकारों की सुनवाई करके अपना निर्णय देगा । किसी भी स्थिति में विवाद को स्थानीय क्षेत्राधिकार केवल झांसी स्थित न्यायालय को ही प्राप्त होगा ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो । प्रथम–पक्ष में उसके पद के उत्तराधिकारी एवं

सम्पत्ति अधिकारी
झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी,

For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD.

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

447817

कोषागार, झाँसी

शुल्क रजिस्ट्रीकरण कोषाधिकारी

समानुदेशितियों का तथा द्वितीयपक्ष में उसके दावाधिकारियों, निष्पादकों, प्रबंधकों, प्रतिनिधियों एवं समानुदेशियों का अन्तर्भाव सदैव रहेगा ।

प्रमाण के रूप में इस विक्रय विलेख पर विक्रेता के लिये एवं उसकी तरफ से प्राधिकृत अधिकारी तथा क्रेता की तरफ से प्राधिकृत हस्ताक्षरी ने इस विक्रय विलेख पर अपने हस्ताक्षर तथा विक्रेता की सील भी साक्षियों की उपस्थिति में लगायी गयी है ।

इस विलेख में अभिदिष्ट अनुसूची निम्नांकित है :–

सम्पत्ति अधिकारी
झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी

For MAHAGUN (INDIA) PVT. L

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

सत्यमेव जयते

447818

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार, झाँसी

[illegible] मुख्य रोकड़िया   [illegible] कोषाधिकारी

ग्राम बूढा परगना व जिला झांसी भूखण्ड बल्क सेल स्थित बेतवा विहार आवासीय क्षेत्रफल– 64375.17 वर्ग मीटर आराजी संख्या 182, 183, 187, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 313, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 400, 401, 445, 446, 447, 448 जिसका विवरण संलग्न नक्शा में लाल स्याही से दर्शित है ।

जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :–

पूरब : 24.00 मीटर चौडी सडक

पश्चिम : 24.00 मीटर चौडी महायोजना सडक

[illegible]
सम्पत्ति अधिकारी
झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी

For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD.

[illegible]
Authorised Signatory

447819

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार, झाँसी
मुख्य रोकड़िया
कोषाधिकारी

उत्तर : राष्ट्रीय मार्ग 4 लेन,

दक्षिण : अन्य की भूमि

फ्री होल्ड के लिए द्वितीयपक्ष ने संपूर्ण धनराशि रू0 9,76,95,758.00 ड्राफट संख्या, 002248, 002347, 002412, 002675 दिनांक 22.01.07, 28.02.07, 30.03.07, 27.07.07 द्वारा जमा कर दी है ।

सम्पत्ति अधिकारी
झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी.

For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD.

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

447820

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार, झाँसी

मुख्य रोकड़िया   कोषाधिकारी

विक्रय विलेख के साथ संलग्न है ।

सम्पत्ति अधिकारी
झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी.

For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD.

Authorised Signatory

500Rs.

नोट– बिन्दू संख्या 2 की प्रथम पंक्ति में हेक्टेयर के बाद '250 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर' संशोधित कर हस्त लिपि से बढाया गया ।

For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD.

Authorised Signatory

केता के हस्ताक्षर

उपाध्यक्ष,विकास प्राधिकरण / सक्षम प्राधिकारी की ओर से तथा उनके द्वारा प्राधिकृत।

सम्पत्ति अधिकारी
झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी

महाप्रबन्धक (वाणिज्य) महागुण इण्डिया प्रा0 लिमिटेड
श्री एस0सी0शर्मा पुत्र स्व0 श्री डी0एन0शर्मा
सी–215 विवेक बिहार नई दिल्ली पिन–110095

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

K 784775

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

साक्षी (1)– Manoj Kumar
(MANOJ KUMAR)
S/o late G.N. Saksena
197A, Sector 15A, NOIDA

साक्षी–(1)– Manoj Kumar.
(MANOJ KUMAR)
S/o late G.N. Saksena
197A, Sector 15A, NOIDA.

साक्षी (2)–

साक्षी (2)–

For MAHAGUN (INDIA) PVT. LTD.

Authorised Signatory

सम्पत्ति अधिकारी
नोएडा विकास प्राधिकरण झांसी.

कोषागार, झाँसी.
क्र. 2260 रुपया 61700

म.म.:- महाप्रबन्धक (कमर्शियल)
महानगर (इण्डिया)
पता:- नई-दिल्ली

हस्ताक्षर
16017

आज दिनांक **29/09/2007** को
बही सं **1** जिल्द सं **3320**
पृष्ठ सं. **125** से **920** पर कमांक **4007**
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

श्रवण कुमार पुरवार
उपनिबंधक प्रथम
झाँसी
29/9/2007